न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,राजसमंद
(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्या : 27 / 2025
दायर दिनांक : 02.05.2025
निर्णय दिनांक : 29.05.2026

—: अनवान :—

1. ग्राम पंचायत सकरावास, जरिये प्रशासक रीना सरगरा पिता रमेश सरगरा निवासी मदारा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द(राज.)
2. ग्राम पंचायत सकरावास, जरिये ग्राम विकास अधिकारी सुरेश शर्मा पिता चुन्नीलाल शर्मा निवासी व्यास मोहल्ला तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द(राज.)

— प्रार्थीगण / निगराकार

बनाम

श्री बलराम पिता रतनलाल भांड निवासी सकरावास, तहसील रेलमंगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

— गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा दिनांक 22 / 08 / 2024 पट्टा संख्या 28 ग्राम पंचायत सकरावास

उपस्थितः—

1— श्री शैलेन्द्र सिंह शक्तावत, अधिवक्ता प्रार्थी / निगराकार
2— अधिवक्ता गैर निगराकार अनुपस्थित (एक पक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 22.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अन्दर हल्के आबादी ग्राम पंचायत सकरावास तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द में एक भूखण्ड पूर्व से पश्चिम 44 फिट, उत्तर से दक्षिण 30 फिट कुलिया 1320 वर्गफिट की होकर इन पड़ोसों के मध्य स्थित है। पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में शंकर जी सरगरा का मकान, उत्तर में पड़त आबादी, दक्षिण में बाबू लाल सरगरा का मकान है। गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 22 / 2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त भूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 28 दिनांक 22.08.2024 को जारी किया गया। गैर निगराकार द्वारा किये गये आवेदन एवं शपथपत्र में कई रिक्तियां होकर अपूर्ण है। जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के नियमों के विरुद्ध होकर किसी भी प्रकार कि आवेदन की श्रेणी में नहीं आता है। जिससे प्रश्नगत

पत्रावली में कोई आवेदन शपथ पत्र प्राप्त होना नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत पट्टा जारी होने के पश्चात निगरानीकार द्वारा अपने विधिक परामर्श दाता से विधिक जानकारी प्राप्त की तो विधिक परामर्शदाता द्वारा दी गई विधिक राय के अनुसार ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा विधि के ज्ञान के अभाव में जारी कर दिया गया। गैर निगराकार द्वारा तात्यिक तथ्यों को छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया वस्तुतः अनिगरानिकार उक्त पट्टा प्राप्त करने की विधिक पात्रता नहीं रखता था फिर भी गैर निगराकार द्वारा तात्यिक तथ्यों को छिपाकर आवेदन पेश कर पट्टा प्राप्त कर लिया गया। वस्तुतः गैर निगराकार द्वारा उक्त भूमि मांगीलाल पिता नारायण लाल सरगरा निवासी सकरावास से वर्ष 2018 में क्रय कि जिससे जाहिर है कि उक्त भू–खण्ड पर गैर निगराकार का 50 वर्षो से अधिक कब्जा नहीं रहा है जिससे उक्त भूखण्ड संबंधित पैतृक भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। जिसमें पात्रता संबंधी विधिक पात्रता न होने से उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। आवंटनकर्ता ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की सख्त पालना नहीं होने के कारण एक विधिक त्रुटि हुई है। जिससे उक्त पट्टा संख्या 28 दिनांक 22/08/2024 से क्षुब्ध होकर निगरानी आप न्यायालय में इन आधारो पर प्रस्तुत है कि गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 22/2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त मूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 28 दिनांक 22/08/2024 को जारी किया गया। जो विधि अनुसार न होकर निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत पट्टा विधिविरूद्ध होकर शुद्धता, वैधता, औचित्यतता लिये हुए नहीं होकर निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार को उक्त भू खण्ड जरिये पट्टा संख्या 28 दिनांक 22/08/2024 को आवंटित हुआ जिसके विधिसंगत न होने की जानकारी ग्राम पंचायत दिनांक 15/04/2025 को हुई। जिस पर 17/04/2025 को कोरम बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 के जरिये सर्वसम्मति से प्रश्नगत पट्टे सम्बंधित निगरानी प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया। जिससे उक्त भूखण्ड के आवंटन को निरस्त फरमाने हेतु निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार बलराम के नाम जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा दिनांक 22/08/2024 पट्टा संख्या 28 ग्राम पंचायत सकरावास को निरस्त फरमाया जाकर गैर निगराकार को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाये कि प्रश्नगत शून्य पट्टे के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं करे तथा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप अतिक्रमण नहीं करे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर निगराकार की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीकांत सनाढ्य ने वकालातनामा पेश कर उपस्थिति दी परंतु दिनांक 30.01.2026 से लगातार नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत सकरावास तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द में एक भूखण्ड पूर्व से पश्चिम 44 फिट, उत्तर से दक्षिण 30 फिट कुलिया 1320 वर्गफिट की होकर इन पड़ोसों के मध्य स्थित है। पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में शंकर जी सरगरा का मकान, उत्तर में पड़त आबादी, दक्षिण में बाबू लाल सरगरा का मकान है। गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 22/2024 दायर की

P.T.O.

जाकर गैर निगराकार को उक्त भूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 28 दिनांक 22.08.2024 को जारी किया गया। गैर निगराकार द्वारा किये गये आवेदन एवं शपथपत्र में कई रिक्तियां होकर अपूर्ण है। जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के नियमों के विरुद्ध होकर किसी भी प्रकार कि आवेदन की श्रेणी में नहीं आता है। जिससे प्रश्नगत पत्रावली में कोई आवेदन शपथ पत्र प्राप्त होना नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत पट्टा जारी होने के पश्चात निगरानीकार द्वारा अपने विधिक परामर्श दाता से विधिक जानकारी प्राप्त की तो विधिक परामर्शदाता द्वारा दी गई विधिक राय के अनुसार ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा विधि के ज्ञान के अभाव में जारी कर दिया गया। गैर निगराकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया वस्तुतः अनिगरानिकार उक्त पट्टा प्राप्त करने की विधिक पात्रता नहीं रखता था फिर भी गैर निगराकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवेदन पेश कर पट्टा प्राप्त कर लिया गया। वस्तुतः गैर निगराकार द्वारा उक्त भूमि मांगीलाल पिता नारायण लाल सरगरा निवासी सकरावास से वर्ष 2018 में क्रय कि जिससे जाहिर है कि उक्त भू–खण्ड पर गैर निगराकार का 50 वर्षो से अधिक कब्जा नहीं रहा है जिससे उक्त भूखण्ड संबंधित पैतृक भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। जिसमें पात्रता संबंधी विधिक पात्रता न होने से उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। आवंटनकर्ता ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की सख्त पालना नहीं होने के कारण एक विधिक त्रुटि हुई है। जिससे उक्त पट्टा संख्या 28 दिनांक 22/08/2024 से क्षुब्ध होकर निगरानी आप न्यायालय में इन आधारो पर प्रस्तुत है कि गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 22/2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त मूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 28 दिनांक 22/08/2024 को जारी किया गया। जो विधि अनुसार न होकर निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत पट्टा विधिविरूद्ध होकर शुद्धता, वैधता, औचित्यतता लिये हुए नहीं होकर निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार को उक्त भू खण्ड जरिये पट्टा संख्या 28 दिनांक 22/08/2024 को आवंटित हुआ जिसके विधिसंगत न होने की जानकारी ग्राम पंचायत दिनांक 15/04/2025 को हुई। जिस पर 17/04/2025 को कोरम बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 के जरिये सर्वसम्मति से प्रश्नगत पट्टे सम्बंधित निगरानी प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया। जिससे उक्त भूखण्ड के आवंटन को निरस्त फरमाने हेतु निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार बलराम के नाम जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा दिनांक 22/08/2024 पट्टा संख्या 28 ग्राम पंचायत सकरावास को निरस्त फरमाया जाकर गैर निगराकार को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाये कि प्रश्नगत शून्य पट्टे के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं करे तथा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप अतिक्रमण नहीं करे।

अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचारणीय प्रकरण में निगराकार ने ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा विपक्षी श्री बलराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 22.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा निर्गमन प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक त्रुटियां होने एवं पट्टाधारी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की अपूर्ण अनुपालन की बात की गई है एवं विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। जो विधी के विपरीत है। उक्त संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं पट्टे का अवलोकन किया गया। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजो से जाहिर है कि उक्त भूखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा श्री मांगीलाल को पंचायतीराज नियम 158 के तहत के एक पट्टा जारी किया गया

P.T.O.

तत्पश्चात् श्री मांगीलाल द्वारा उक्त भूखण्ड को दिनांक 25.05.2018 को भारतीय गैर न्यायिक विक्रय पत्र अनुसार गैर निगराकार की पत्नि विक्रय कर दिया। फिर उक्त संबंध में ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत श्री बलराम भाण्ड पिता श्री रतनलाल भाण्ड निवासी सकरावास को पट्टा जारी किया गया। जिससे यह जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की न तो जांच की गई एवं न ही पंचायतीराज अधिनियम के तहत विहित विधिक प्रक्रिया की पालना की गई। क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार उक्त भूखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा दिनांक 22.01.2013 को श्री मांगीलाल पुत्र नारायण निवासी सकरावास को एक पट्टा जारी किया जा चुका है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इन तथ्यो की जांच किये बगेर ही पुनः पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत श्री बलराम भाण्ड पिता श्री रतनलाल भाण्ड निवासी सकरावास को जारी कर दिया गया परन्तु उक्त भूखण्ड बलराम की पत्नि गिरीजा भाण्ड द्वारा दिनांक 30.05.2018 क्रय किया गया। जिससे जाहिर होता है कि उक्त भूखण्ड पर बलराम का कब्जा 50 वर्ष पुराना नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत द्वारा विचारणीय पट्टा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है उसमें पंचायतीराज नियमो के तहत विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई एवं जारी किया गया पट्टा विधि अनुसार नहीं होने से निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किया जाकर विचारणीय पट्टे को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 22.08.2024 को निरस्त किया जाता है।

29/05/2026

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 29.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/05/2026

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द